आपदा प्रबंधन के गुर सीखेगा बिहार

पटना में 15 से 19 अक्तूबर तक होगा सार्क देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन

संवाददाता ■ पटना

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) की ओर से पटना में 15 से 19 अक्तूबर तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है. इसका विषय इंसिडेंट कमांड सिस्टम है. अमेरिका में आपदा आने पर इसी प्रणाली के तहत काम होता है. शिविर का उद्देश्य अमेरिकी अधिकारियों से आपदा प्रबंधन के तरीकों व आवश्यक उपकरणों की जानकारी हासिल करनी है, ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल कर जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके.

बिहार में इस प्रणाली के लागू होने पर मुख्य सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को प्रमुख बनाया जायेगा. फिलहाल, बिहार सरकार ने आपदा पर काबू पाने के लिए मानक संचालन प्रणाली बना रखी है. इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है.

डेविड मार्श देंगे प्रशिक्षण

शिविर में सार्क देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नयी दिल्ली के अधिकारी व बिहार सरकार के 20 विभागों के नोडल पदाधिकारी शामिल होंगे. इसका आयोजन बाल्मी परिसर में होगा. शिविर का उद्घाटन होटल मौर्या में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कुशवाहा करेंगी. प्रशिक्षण अमेरिकी अधिकारी व आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ डेविड मार्श देंगे. इसके अलावा देश-विदेश में आपदा से संबंधित प्रशिक्षण ले चुके अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवे) पीएन राय और सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, नयी दिल्ली के प्रो एमबी राव भी प्रशिक्षण देंगे.

इंसिडेंट कमांड सिस्टम

आपदा आने पर अमेरिकी सरकार इसी प्रणाली के तहत काम करती है. राज्य का प्रमुख इसका मुखिया होता है. इसके बाद जिला व प्रखंड स्तर के अधिकारी अपने-अपने स्तर पर इस प्रणाली के प्रमुख होते हैं. आपदा आने पर जितने विभागों की आवश्यकता होती है, उन्हें इस सिस्टम में शामिल किया जाता है.

प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु

- आपदा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें
- क्या करें और क्या न करें
- तत्काल योजना बनाना
- आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- अंत में आपदा पर काबू पाने के लिए काम शुरू करना

ये होंगे शामिल

प्रशिक्षण शिविर में भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका व नेपाल सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे, जबकि बिहार से पुलिस, कृषि, जल संसाधन, पथ निर्माण, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, उद्योग, स्वास्थ्य, वित्त, नगर विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, सामान्य प्रशासन, प्रमंडलीय कार्यालय, गृह, भवन निर्माण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा वाहिनी के नोडल अधिकारी शामिल होंगे.